भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 41

गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देना

41 श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने, विशेष रूप से पर्यावरणीय-पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और समुद्रतटीय-पर्यटन पर ध्यान देते हुए सरकार द्वारा क्या पहल और उपाय किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2021-2022 से 2023-2024 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए गोवा राज्य को वर्ष-वार कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन-अंतर्वाह में मौसमी उतार-चढ़ाव के असर को कम करने के लिए कोई लक्षित परियोजनाएं शुरू की हैं, यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का विशिष्ट ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसे सहारा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और विदेशी निवेश की भूमिका क्या है और क्या ऐसे निवेशों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े द्वारा गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 41 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ग): पर्यटन के संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की है, तथापि, पर्यटन मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इको-पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और बीच पर्यटन जैसे पर्यटन गंतव्यों और पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करता है। यह संवर्धन कार्य, कार्यक्रमों, सोशल मीडिया और अभियानों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से किया जाता है।

देश में पर्यटन स्थलों संबंधी जानकारी का अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। साथ ही, पर्यटन मंत्रालय ने नए अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल (www.incredibleindia.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है। अतुल्य भारत कंटेंट हब उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशरों और समाचार पत्रों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है, जिसे दुनिया भर में उद्योग जगत के हितधारकों (ट्रैवल मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट) द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और जो अपने विपणन और प्रचार संबंधी प्रयासों में अतुल्य भारत के संवर्धन के लिए आवश्यक है।

पर्यटन मंत्रालय 'मौसम के प्रभाव' संबंधी पहलू को दूर करने और भारत का 365 दिन यात्रा करने योग्य गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए साहसिक, चिकित्सा और निरोगता, क्रूज, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां (एमआईसीई), इको-पर्यटन, फिल्म पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसे विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देता है। पर्यटन मंत्रालय ने 'वेड इन इंडिया' और 'मीट इन इंडिया' अभियान शुरू किए हैं।

पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) नामक अपनी योजना के अंतर्गत मेलों/महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी गोवा राज्य सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में अपनी स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना शुरू की थी, ताकि देश की संस्कृति और विरासत का संवर्धन किया जा सके और उन्हें सतत तरीके से पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। पर्यटन मंत्रालय, 'स्वदेश दर्शन', तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के अंतर्गत गोवा के गंतव्यों सहित देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत, विषय आधारित परिपथों का विकास करने के लिए 15 विषयों के चिह्नित किया गया था। इन विषयों में तटीय परिपथ, इको परिपथ और विरासत परिपथ शामिल थे। गोवा के लिए दो तटीय परिपथ विकसित किए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य और पर्यटन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मदारीयुक्त पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को अब स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के तौर पर नया रूप दिया है।

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गोवा के लिए स्वीकृत निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): गोवा के पर्यटन उद्योग में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और विदेशी निवेश की मुख्य भूमिका है। स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना के तहत परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित हैं। तथापि, ये योजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सृजित परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रोत्साहित करती हैं।

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, लागू नियमों और कानूनों के अध्यधीन, भारत में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। होटल, रिसॉर्ट और मनोरंजक सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100% एफडीआई की अनुमति है।

सरकार ने निम्नलिखित को पर्यटन अवसंरचना का दर्जा देने की घोषणा द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने संबंधी कदम उठाए हैं (i) 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोपवे और केबल कार (iii) प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र परियोजनाएं, जिनमें 100,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थल या दोनों संयुक्त रूप से शामिल हैं। इन सभी को सुसंगत मास्टर लिस्ट में शामिल किया गया है।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को 'उद्योग का दर्जा' देने और इसे कार्यान्वित करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों में सहायता देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक हैंडबुक लॉन्च की है। इस हैंडबुक का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए उन्हें पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने हेतु चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करना और इससे होने वाले अधिकतम निवेश से लाभ हासिल करना है।

*****

अनुबंध

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े द्वारा गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 41 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

गोवा में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**परिपथ/ स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि***	**उपयोग की गई राशि**	**वास्तविक स्थिति (%)**	**कार्यान्वयन एजेंसी**
1.	तटीय परिपथ 2016-17	सिंक्वेरिम-बागा, अंजुना- वागाटोर, मोरजिम-केरी, अगौड़ा किला और अगौड़ा जेल का विकास	97.65	97.65	92.76	पूर्ण	गोवा पर्यटन विकास निगम
2.	तटीय परिपथ 2017-18	तटीय परिपथ II: रुआ डी ओरम क्रीक - डोना पाउला -कोलवा - बेनौलिम का विकास	99.35	99.35	94.38	पूर्ण	गोवा पर्यटन विकास निगम

* इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए टीएसए मॉडल I के माध्यम से सीएनए को अधिकृत राशि शामिल है।

गोवा में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**गंतव्य**	**अनुभव का नाम**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**	**स्वीकृति की तिथि**
1	पोर्वोरिम	पोरवोरिम क्रीक अनुभव	23.56	20-08-2024
2	कोलवा	कोलवा बीच अनुभव	15.65	20-08-2024

गोवा में केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

क्र. सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**एजेंसी**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि**
1.	2014-15	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट में क्रूज टर्मिनल भवन	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	879.04	767.187
2.	2017-18	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मडगांव, थिविम और करमाली रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए सीएफए	रेल मंत्रालय	2500	2000
3.	2018-19	मोरमुगाओ में आप्रवासन सुविधा में सुधार और मौजूदा क्रूज बर्थ को गहरा करना	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	1316.40	658.20
4.	2021-22	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) द्वारा मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज जहाजों के लिए सुविधाओं का निर्माण	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	5000.00	4000.00

पिछले पांच वर्षों में आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत सहायता प्राप्त मेलों और महोत्सवों और कार्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	**मेलों और महोत्सवों के नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि**
2020-21	कार्निवल महोत्सव	25.00	25.00
	शिग्मो महोत्सव	25.00	25.00
2021-22	कार्निवल महोत्सव	25.00	25.00
	शिग्मो महोत्सव	25.00	25.00
2022-23	कार्निवल महोत्सव	25.00	25.00
	शिग्मो महोत्सव	25.00	25.00

*****